न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2018

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. भोपालसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेड़ तहसील, ओसियाँ जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ओसियाँ

अपील अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3744 दिनांक 24.12.2010 जो तहसीलदार ओसियाँ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वत सिंह उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07.02.2019

अपीलान्ट भोपालसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेड़, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ के विरूद्ध तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 24.12.2010 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3744 ग्राम ओसियां में अपीलान्ट के पिता का नाम मोहनसिंह जो गलती से दर्ज हो रखा है उसके स्थान पर उनका वास्तविक नाम मानसिंह दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खरीदसुदा खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 1594/13 रकबा 05 बिस्वा 12 बिस्वांशी मौजा ग्राम ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि अपीलान्ट ने भागीरथराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट से खरीद की थी जिसका बेचाननामा उपपंजीयक कार्यालय ओसियां में दिनांक 12.10.2010 को पुस्तक

संख्या 1 जिल्द संख्या 264 पृष्ठ संख्या 111 क्रम संख्या 2411/10 पर पंजीबद्ध है तथा उक्त भूमि पर खरीद की दिनांक से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट की उक्त खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3744 दिनांक 24.12.2010 दर्ज करते वक्त हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां द्वारा त्रुटिवश अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह के स्थान पर मोहनसिंह दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह है तथा अपीलान्ट के मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड इत्यादि सम्पूर्ण दस्तावेज में भोपालसिंह पुत्र श्री मानसिंह नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण एक शून्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी जांच किए पारित करने, अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त दस्तावेजों की जांच किये बिना अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह के स्थान पर मोहनसिंह दर्ज करने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पिता का नाम मोहनसिंह जो गलती से दर्ज हो रखा है उसके स्थान पर उनका वास्तविक नाम मानंसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, ओसियां से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पिता का नाम मोहनसिंह जो गलती से दर्ज हो रखा है उसके स्थान पर उनका वास्तविक नाम मानंसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट द्वारा तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 1594/13 रकबा 05 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि भागीरथराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट से खरीद कर उपपंजीयक कार्यालय ओसिया में पंजीबद्ध करवायी थी। उक्त खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3744 दिनांक 24.12.2010 दर्ज करते वक्त हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां द्वारा त्रुटिवश अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह के स्थान पर मोहनसिंह दर्ज कर दिया जबकि

अपीलान्ट के पिता का नाम मानसिंह है जैसा कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड की प्रतियों से प्रतीत होता है। तहसीलदार ओसियां स्वयं इसमें सक्षम होने की वजह से दस्तावेजों की जांच कर व राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर उक्त नामान्तरकरण में नाम शुद्धि करे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण स्वयं जांच कर नामान्तरकरण संख्या 3744 ग्राम ओसियां में नाम शुद्धि हेतु तहसीलदार ओसियां को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर